MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1985

सा. का. नि. 671.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय संपरीक्षा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 में (i) नियम 23 में, खंड (ii) में, "पुनर्विलोकन" शब्द के स्थान पर "पुनरीक्षण" शब्द रखा जाएगा :—

(2) नियम 29 के पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि किसी पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी शास्ति को अधिरोपित या वृद्धि करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और जहां नियम 11 के खंड (5) से (9) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित किए जाने का या पुनरीक्षित किए जाने के लिए इप्सित आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को उन खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और यदि मामले में नियम 14 के अधीन कोई जांच पहले ही से नहीं की गई है, तो नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 14 में अधिकथित रीति से जांच किए बिना और आयोग से परामर्श किए बिना जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।"

[सं. 11012/15/84-स्था. (क)]

अ. जयरामन, निदेशक

New Delhi, the 5th July, 1985

G.S.R. 671.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal), Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.—

(i) in rule 23, in clause (ii), for the word 'reviewing' the word 'revising' shall be substituted ;

(ii) for the first proviso to rule 29, the following shall be substituted, namely :—

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of maknig a representation against the penalty proposed and, where it is proposed to impose any of the penalities specified in clause (v) to (ix) of rule 11 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clause and if an inquiry under rule 14 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Rule 14, subject to the provisions of rule 19, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary.

[No. 11012/15/84-Estt (A)]

A. JAYARAMAN, Director